S.No.	Name of the Project	Project Cost (Rs. in lacs)	Scheduled Date of Completion
21.	Improvement of Water Supply Scheme.	4,555.00	Sept., 1998
22.	Sewerage Treatment Plant on Mysore Road.	5,212.00	—
23.	Sewerage Treatment Plant-Yelahanka.	3,924.80	—
24.	Investment in Energy saving opportunities at BWSSB pumping stations.	1,617.35	—
25.	Augmentation of water supply by ground water resources.	820.00	—
26.	Improvement of slum settlements in Bangalore.	150.00	—
27.	Establishment of seven satellite and one mega agriculture markets around Bangalore-Phase.I	3,929.00	—
28.	Re-modelling of Shivajinagar Bus stand with car parking facilities.	550.09	—
29.	Construction of Trunk Terminal on Hosur Road.	2,364.00	—
	TOTAL:	6,3878.85	—

Regularisation of Unauthorised Colonies in Delhi

2888. SHRI AMAR SINGH: Will the MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the proposal received from Delhi Administration for the regularisation of unauthorised colonies in Delhi has not been approved as yet;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) by when these are proposed to be regularised?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Hon'ble High Court of Delhi has restrained the respondents, including Union of India, from taking any decision to regularise the unauthorised colonies in Delhi till further orders. The

मध्य प्रदेश में पेयजल की योजना

2889. **श्री राधाकृष्ण मालवीय:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास मध्य प्रदेश के बीस हजार से कम आबादी वाले नगरों की पीने के पानी की आपूर्ति की योजनाएं स्वीकृति हेतु विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इन नगरों की योजनाओं को कब तक स्वीकृति मिल जाएगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार ने 3637.22 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 44 स्कीमें भेजी हैं, जो वर्ष 1991 की जनसंख्या के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों में त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए॰ यू॰ डब्ल्यू॰ एस॰ पी॰) के तहत केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिए विचाराधीन है।

(ख) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत स्कीमों का अनुमोदन शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय की केन्द्रीय योजना के तहत धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

राष्ट्रीय वृहत नगर योजना के अंतर्गत अहमदाबाद को लाना

2890. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकार ने सरकार से अहमदाबाद गांधीनगर को (ग्रेटर) वृहत अहमदाबाद का दर्जा देने और इसे राष्ट्रीय वृहत नगर योजना के अन्तर्गत लाने के लिए एक अभ्यावेदन प्रेषित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) ग्रेटर अहमदाबाद हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है; और